—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 47/2023

उनवान

1. प्रेमदेवी पुत्र कालूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र कालूराम,
2. बालस्वरूप,
3. मुकेश पुत्र भंवरलाल,
4. कौशल्या,
5. मंजू पुत्री भंवरलाल,
6. अरविन्द पुत्र भंवरलाल,
7. मनीष पुत्र घनश्याम,
8. पायल पुत्री घनश्याम,
9. गौरीशंकर पुत्र घनश्याम जातिगण कुमावत निवासी श्रीनगर तहसील नसीराबाद,
10. राजू पुत्र हनुमान,
11. धर्मेन्द्र पुत्र गौरीशंकर दोनो जातिगण यादव निवासी श्रीनगर तहसील नसीराबाद,
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 11 अनुपस्थित, 12 जरियें राज. पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 18.11.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की पुश्तैनी सहखातेदारी की आराजी स्थित है। उक्त आराजी का वंर्किंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2996	0.05	3980	0.05
2997	0.05	3981	0.05
3000	0.19	3990	0.19
3009 मिन	0.20	[illegible]	0.20
3009 मिन	0.20	[illegible]005	0.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी वंर्किंग जमाबंदी में मूल [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता/दादा कालू पुत्र मूलचन्द [illegible]दारी। कालू की मृत्यु हो [illegible] है जिसके वारिस भंवरलाल, धनश्याम पुत्र व प्रेमदेवी पुत्री [illegible]ये। भंवरलाल पुत्र कालू

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मृत्यु हो गयीं है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 6 है। कालू की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी को उक्त आराजी का खातेदार दर्ज नही किया गया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण वादी का भी उक्त भूमि पर हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है, वादी को बेदखल करने पर आमादा है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार दर्ज कर पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने वाद का जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 1326/869 किता 5 रकबा 0.69 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम सह खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 2996, 2997, 3000 व 3009 तथा चौसाला खसरा नम्बर 2323, 2326 व 2333 बने है। चौसाला खसरा नम्बर 2323, 2326 व 2333 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2018 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पूर्वज कालू पुत्र मूला के नाम दर्ज है। खतौनी जमाबंदी सन् फसली में भी भूमि कालू पुत्र मूला के नाम दर्ज है। कालू की मृत्यु के बाद वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी उसके पुत्र भंवरलाल, धनश्याम पि. कालू के नाम ही दर्ज कर दी गयी। वादी कालूराम की पुत्री होने के कारण पुश्तैनी आराजी पर उसका हक व अधिकार निहित है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपंति में धारा 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 32601/2018 विनिता शर्मा बनाम राकेश में पारित आदेश 11.08.2020 के अनुसार सहदायिक बनने या सहदायिक बनने के लिये यह आवश्यक नही है कि पूर्ववती सहदायिक जीवित हो। जन्म से पुत्री को अधिकार दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपंति में धारा 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा क्रय करने के बाद प्रतिवादी संख्या 10 व 11 भी उक्त आराजी में सहखातेदार दर्ज है। उनके द्वारा आराजी विधिवत क्रय की है जिसका अमल दरामद हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 7 से 9 का 3/8 हिस्सा दर्ज है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] के हिस्से में से [illegible] हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित भूमि अविभाजित है, जिसका [illegible] वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किया जाना है। आराजी मुतनाजा [illegible] के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी आराजी मुतनाजा पर [illegible] विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:21 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 1326/869 किता 5 रकबा 0.69 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/16 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 11 को 1/16 हि,. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 प्रत्येक 1/12 हि. कुल 1/2 हि. व प्रतिवादी संख्या 7 से 9 प्रत्येक 7/72 कुल 7/24 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:21 IST
Reason: SelfAttested